न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 34 / 2020

ताराचन्द पुत्र जगनप्रसाद शर्मा, जाति ब्रहाम्ण, निवासी कालियासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।
—अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।
—रेस्पोडेन्ट—

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मलसीसर मुकदमा उनवानी सरकार बनाम ताराचन्द प्रकरण संख्या 11 / 2020 निर्णय दिनांक 10.07.2020 अ0धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट............................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता............रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 29.1.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने हलका पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही संस्थित की। अपीलान्ट ने नोटिस प्राप्त होने पर दिनांक 03.07.2020 को जवाब व दस्तावेज पेश किये। जिसमें अपीलांट ने अपना पट्‌टा प्रस्तुत किया जो कि आबादी भूमि खसरा नम्बर 93 में से 150 वर्गगज भूमि का है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने विवादित भूमि पर अपीलान्ट के पास पट्‌टा होने के वाबजूद पट्‌टे को नही मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी को समरी कार्यवाही के तहत बेदखल किया है जहां कोई व्यक्ति पट्‌टे के आधार पर भूमि क्लेम करता है वहां उसको समरी कार्यवाही द्वारा बेदखल नही किया जा सकता। अपीलांट उक्त भूमि पर 28 वर्ष से आबाद है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्‌टे में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आबादी विस्तार हेतु आंवटित भूमि खसरा नम्बर 93 में से 150 वर्गगज भूमि प्रार्थी को दी गई है। जिसका प्रस्ताव ग्राम सभा में लिया गया है तथा उक्त खसरा नम्बर 93 ग्राम पंचायत को जिला कलक्टर महोदय द्वारा आंवटित की गई है। अन्त में अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya.
Date: 2025.01.31 11:03:58 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने हलका पटवारी की रिपोर्ट

के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही संस्थित की। अपीलान्ट ने नोटिस प्राप्त होने पर दिनांक 03.07.2020 को जवाब व दस्तावेज पेश किये। जिसमें अपीलांट ने अपना पट्टा प्रस्तुत किया जो कि आबादी भूमि खसरा नम्बर 93 में से 150 वर्गगज भूमि का है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने विवादित भूमि पर अपीलान्ट के पास पट्टा होने के वाबजूद पट्टे को नही मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी को समरी कार्यवाही के तहत बेदखल किया है जहां कोई व्यक्ति पट्टे के आधार पर भूमि क्लेम करता है वहां उसको समरी कार्यवाही द्वारा बेदखल नही किया जा सकता। अपीलांट उक्त भूमि पर 28 वर्ष से आबाद है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टे में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आबादी विस्तार हेतु आंवटित भूमि खसरा नम्बर 93 में से 150 वर्गगज भूमि प्रार्थी को दी गई है। जिसका प्रस्ताव ग्राम सभा में लिया गया है तथा उक्त खसरा नम्बर 93 ग्राम पंचायत को जिला कलक्टर महोदय द्वारा आंवटित की गई है। अन्त में अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय को निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाधीन विवादित भूमि गैर मुमकिन जोहड़ है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टा व अपीलाधीन विवादित भूमि अलग–अलग है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। इसके अलावा मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पुत्र द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस प्राप्त किया गया है जो कि अपीलान्ट के शामलात में रहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलोक में खारिज किये जाने योग्य पाते है तथा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2020 निर्णय दिनांक 10.07.2020 को यथावत रखा जाता है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय की प्रति के अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.01.31 11:03:58 IST
Reason: SelfAttested